"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2006—वैशाख 22, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/5/2003/1/2.—श्री एस. के. केहरी, भा.प्र.से. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 1-4-2006 से 22-4-2006 तक (22 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-4-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केहरी, भा.प्र.से. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

3. अवकाश काल में श्री केहरी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/55/2004/1/2.—श्री बी.पी.एस. नेताम, सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 17-4-2006 से 6-5-2006 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15 एवं 16 अप्रैल 2006 तथा 7 मई 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नेताम, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नेताम, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नेताम, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2006

क्रमांक 375/1175/2004/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत निरीक्षकालय के अधीन प्रवर श्रेणी वेतनमान (6500-9100) में नियुक्त उपयंत्रियों को, राजपत्रित अधिकारी श्रेणी दो घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक/1615/बी-14/17/2002/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "सपोर्ट टू स्टेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म" केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था (SAMETI) हेतु निम्नानुसार "जनरल कौंशिल एवं एक्जीक्युटिव्ह कौंशिल"

का गठन करती है :—

(अ) जनरल कौंसिल

1. कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2. सचिव कृषि, छ. ग. शासन, कृषि विभाग, रायपुर	सदस्य
3. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.	सदस्य
4. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, छ.ग., रायपुर	सदस्य
5. संचालक, मत्स्योद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर	सदस्य
6. संचालक, रेशम उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर	सदस्य
7. प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	सदस्य
8. संचालक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.	सदस्य
9. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
10. अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि.	सदस्य
11. संचालक, राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था	सदस्य
12. तकनीकी अधिकारी, व्ही. आई. पी. एम. सी.	सदस्य
13. संचालक, कृषि संचालनालय, छ.ग., रायपुर	सदस्य सचिव.

एक्जीक्युटिव कौंसिल

1. संचालक, कृषि	अध्यक्ष
2. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	सदस्य
3. संचालक, मत्स्योद्योग	सदस्य
4. संचालक, रेशम उद्योग	सदस्य
5. संचालक, विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
6. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
7. उप-सचिव कृषि [illegible]	सदस्य
8. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
9. संचालक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2006

विषय :—शासकीय समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत बचत निधि में जमा राशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण.

क्रमांक/227/एल-17/2/2003/ब-4/चार.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, के आदेश क्रमांक 7(2)/ई.व्ही./2003 दिनांक 6-1-2006 द्वारा केन्द्रीय समूह बीमा योजना, 1980 की बचत निधि पर ब्याज दर का पुनरीक्षण किया गया है. अत: राज्य शासन तदानुसार शासकीय समूह बीमा योजना, 1985 की बचत निधि में जमा धनराशि पर तथा परिवार कल्याण निधि, 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर निम्नानुसार ब्याज दर का निर्धारण करता है. ये दरें 1 जनवरी, 2006 से प्रभावशील रहेंगी.

(अ) शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985

1. दिनांक 1-1-1987 से 31-12-2000 तक की अवधि के लिये 12 प्रतिशत (संयोजित त्रैमासिक)
2. दिनांक 1-1-2001 से 31-12-2001 तक की अवधि के लिये 11 प्रतिशत (संयोजित त्रैमासिक)
3. दिनांक 1-1-2002 से 31-12-2002 तक 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक)
4. दिनांक 1-1-2003 से 31-12-2003 तक 9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक)
5. दिनांक 1-1-2004 से 31-12-2005 तक 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक)
6. दिनांक 1-1-2006 से 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक)

(ब) परिवार कल्याण निधि, 1974

1. दिनांक 14-10-1974 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये 7.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज
2. दिनांक 1-4-1993 से 31-12-2002 तक की अवधि के लिये 12 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
3. दिनांक 1-1-2004 से दिनांक 31-12-2005 की अवधि के लिये 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
4. दिनांक 1-1-2006 से 31-12-2006 की अवधि के लिए 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2006

विषय :—वर्ष 2006-2007 के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण

क्रमांक/229/एल-17/2/2003/ब-4/चार.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 76/एल-17/2/2003/ब-4/चार दिनांक 5-6-2004 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है. ये दरें 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील रहेंगी.

क्रमांक (1)	श्रेणी (2)	ब्याज दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष) (3)
1.	कृषक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय अधिकरण द्वारा दिये जाने वाले कृषकों को ऋण (चार वर्ष तक).	8.00

(1)	(2)	(3)
2.	प्राकृतिक विपदाओं में हुए, कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण.	8.00
3.	कृषक ऋण अधिनियम तथा भू-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को ऋण :—	
	1. अल्पावधि ऋण	9.00
	2. मध्यावधि ऋण	9.50
4.	(क) एक करोड़ से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण.	10.50
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितियों को ऋण.	
	1. नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ऋण के अलावा अन्य ऋण.	10.50
	2. नगद कमी या कार्यशील पूंजी को पूरा करने हेतु ऋण (अधिकतम 5 वर्ष)	14.50
	(ग) निजी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋण.	"ख" में बताई गई ब्याज दर से 1/2% अधिक.
5.	नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु ऋण	9.00
6.	शहरी क्षेत्रों में अस्थाई जलकष्ट का निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	10.50
7.	वन तकावी	9.00
8.	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	9.00
9.	वन अधीक्षकों को बन्दूक क्रय करने हेतु ऋण	11.00
10.	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक, अन्य सामाजिक सेवा संस्थाएं तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण).	11.00
11.	जीवन बीमा निगम से ऋण :—	
	1. सामान्य विकास कार्यों हेतु	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है +0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.

(1)	(2)	(3)
	2. ग्रामीण विकास कार्यों हेतु	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है +0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
12.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्हीं दरों पर जिन पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है.
	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3% अधिक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अल्पना घोष, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2006

फा. क्र. 4384/डी.-824/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन श्रीमती अमृता संजय लाल उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी के सेवाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 149/दो-2-17/2001/गोप./06, दिनांक 22-3-2006 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग को विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के पद पर पद स्थापित किये जाने हेतु एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-11/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी का

उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. करूणा मिंज	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी.	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-21/दो/गृह/06.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र ''समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संकल्प साहू	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-40/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र विद्युत संस्थापनाएं (बिना पुस्तकों के)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती	सहायक यंत्री

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-2/दो/गृह/06.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित टिप्पणी रहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैं :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रहलाद द्विवेदी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर
2.	श्री जोसेफ एक्का	उप पंजीयक	उच्चस्तर
3.	श्रीमती किरण खलखो	रिकार्ड कीपर	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
4.	श्री मनोहर प्रकाश दानी	उप पंजीयक	उच्चस्तर
5.	श्री ब्रजेश शुक्ला	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर
6.	श्री उत्तर कुमार टण्डन	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर
7.	श्री विनोद कुमार भतरदिया	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-15/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. करूणा मिंज	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी.	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. सोनल खण्डूजा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	सुश्री राखी गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-16/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र ''सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र ग्वालियर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
3.	श्री चन्दन संजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार वड़ौनिया	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
5.	कु. प्रियंका धवाईत	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
6.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
7.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
8.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
9.	श्री जागेश्वर प्रसाद कौशल	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
10.	श्री विकास माहेश्वरी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
11.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-9-41/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "लेखा व स्थापना प्रश्नपत्र-4 (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती	सहायक यंत्री

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष अत्रे, सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-5-6/दो/आठ-परि./2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग क) के अन्तर्विष्ठ उपबंधों में राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर एवं बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार संपूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चतकरण (Route Formulation) करती है.

1. रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत :—

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	बम्हनी से रायपुर	बरोंड़ा, मचेवा, परसटी, महासमुंद, आरंग, मंदिरहसौद
2.	नवागढ़ से कवर्धा	छिरहा, दांडी, कायलारी, गेगडामरका, पिरपरिया, बिकोना, कवर्धा
3.	सीतागोटा से डोंगरगढ़	चिरचारी, घोरतालाब, खेरखाना, टाटेकसा
4.	सीतागोटा से डोंगरगढ़	घोरतालाब, चिरचारी, चिचोला
5.	देवभोग से धमतरी	मैनपुर, नगरी, केरेगांव

(1)	(2)	(3)
6.	दल्लीराजहरा से भोजटोला	मोहभड़ा, गोटाटोला, मोहला
7.	मनियारी से बेमेतरा	सलधा, वैजलपुर, खिलौरा
8.	टाटापुर से रायपुर	खम्हरिया, कारेसरा, बेमेतरा, सिमगा, धरसींवा
9.	दल्लीराजहरा से भोजटोला	विटाल, खडगांव, सकटकन्हार, मोहला
10.	बांगबारी से रायपुर	दुधावा, सरोना, नरहरपुर, धमतरी
11.	बांगबारी से धमतरी	दुधावा, सरोना, नरहरपुर
12.	नवागढ़ से बेमेतरा	सम्बलपुर, मेहना, बदनारा, बालसमुन्द, नवागांव, झिरीया, मोहभट्टा
13.	नवागढ़ से बेमेतरा	सम्बलपुर, मेहना, बदनारा, धांधटाली, चन्दनू, कोसा, मुलमुला, ढोलिया
14.	नवागढ़ से गंडई	अंधियारखोद, अतरिया, खंडसरा, कारेसरा, खाती, अकोला, खम्हरिया, लोहार, सिल्हाटी, गंडई.
15.	नवागढ़ से भाटापारा	अधियारखोद, मरका, खाम्ही, चन्दनू, मल्दा, नांदघाट
16.	नवागढ़ से बिलासपुर	सम्बलपुर, पुटपुटा, लमती, सिलदहा, पथरिया, सरगांव
17.	नवागढ़ से बिलासपुर	छेरकापुर, कटई, चमारी, बदनारा, पोसरी, कूंरा, मुरकुटा, एसमसही, घुरसेना, ट्रेमरी, सरगांव.
18.	नवागढ़ से कवर्धा	छिरहा, दाड़ी, चुयरंगपुर, पत्तभैया, कुंआ, बिपतस, गेगडा, मरका, पिपरिया, बिंकोना.
19.	नवागढ़ से कवर्धा	छिरहा, दाड़ी, पंचभैया, गिधवा, कोदवा, पेन्ड्री, जाता, बहरबोड, ओडिया
20.	नवागढ़ से भाटापारा	छेरकापुर, कटई, चमारी, बदनारा, भदराली, मल्दा, नांदघाट
21.	नवागढ़ से बिलासपुर	छेरकापुर, कटई, चमारी, बदनारा, भदराली, मल्दा, नांदघाट
22.	लोहरसी से रायपुर	जोधरा, पण्डरिया, नवन, बलौदाबाजार, पलारी खरोरा
23.	लोहरसी से शिवरीनारायण	चिल्हाटी, जोधरा, लवन, कसडोल, गिधोरी
24.	लोहरसी से भाटापारा	चिल्हाटी, करहीबाजार
25.	लोहरसी से बिरहा	चिलहाटी कहरीबाजार

(1)	(2)	(3)
26.	केसरा से धमतरी	भखारा, पाटन, सेलूद, दुर्ग, जामगांव, बेल्लारी, अलमरी, आमदी
27.	महासमुंद से रयमुरा	पटेवा, पुहरी, तुमगांव
28.	महासमुंद से अक्षरीडीह	बीमचा, परसवानी, बिरकोना, बरबसपुर, बड़गांव
29.	बेमेतरा से रायपुर	रांका, जेबरा, सिमगा, धरसींवा
30.	बेमेतरा से बिलासपुर	जेवरा, सिमगा, दामाखेड़ा, नांदघाट, हिर्री, बेतलपुर
31.	खम्हरिया से बिलासपुर	खाती, कारेसरा, बेमेतरा, सिमगा, दामाखेड़ा, नांदघाट
32.	साजा से रायपुर	कोदवा, बेरला, हसदा, भिभौंरी, बिरगांव
33.	रायपुर से बम्हनी	नांदगांव, मुटेना, नदीमोड़, आरंग, मंदिर हसौद
34.	बलौदाबाजार से सरायपाली	कसडोल, गिधोरी, बिलाईगढ़, सल्हिा, जगदीशपुर, बसना
35.	भाटापारा से बलौदा	कसडोल, बिलाईगढ़, सरसींवा, सारंगढ़, कोसिर जशपुर
36.	भाटापारा से बलौदा	कसडोल, बिलाईगढ़, सरसींवा, जेतपुर
37.	भाटापारा से बलौदा	कसडोल, बिलाईगढ़, सरसींवा, सरायपाली
38.	बलौदाबाजार से बिलाईगढ़	पुरगांव, कटगी, कसडोल, बलोदा, नारायणपुर
39.	बलौदाबाजार से बिलासपुर	अर्जुनी, भाटापारा, नारायणपुर, सरगांव
40.	बेमेतरा से बाबाघटोली	वालसमुन्द, मोहरेंगा
41.	वीरेन्द्रनगर से बेमेतरा	चारभाटा, कारेसरा, खम्हरिया
42.	बेमेतरा से चारभाटा	कारेसरा, खम्हरिया
43.	बेमेतरा से चारभाटा	कारेसरा, खमहिरया, वीरेन्द्रनगर
44.	बेमेतरा से लोहारा	कटकटा, धुरली, वीरेन्द्रनगर
45.	गौरगांव से धमतरी	मैनपुर, सष्टि, नगरी
46.	गोरगांव से रायपुर	मैनपुर, सष्टि, नगरी, धमतरी
47.	रायपुर से जैतपुर	सारागांव, खरोरा, बलौदाबाजार, कसडोल, गिधोरी, बिलाईगढ़

(1)	(2)	(3)
48.	रायपुर से रायगढ़	सारागांव, खरोरा, बलौदाबाजार, लवन, गिधौरी, सारंगढ़, सरसींवा, चन्द्रपुर
49.	बागवारी से धमतरी	बेलर, नगरी, कैरेगांव
50.	रायपुर से कठौतिया	सिमगा, बेमेतरा, नवागढ़, छिरहा
51.	मनियारी से बेमेतरा	सल्धा, जेवरा
52.	बेमेतरा से धिवरी	कारेसरा, अकोला
53.	खम्हरिया से बेमेतरा	टिपनी, सौरी, खाती, कारेसरा
54.	नवागढ़ से बिलासपुर	सम्बलपुर, तुन्दुवा, छिनभोग, पथरिया, से सकेत, सरगांव
55.	नवागढ़ से बिलासपुर	सम्बलपुर, तेन्दुवा, छिनभोग, पथरिया, भथली, तखतपुर
56.	खम्हरिया से दुर्ग	रणवीरपुर, सील्हाटी, गंडई, दनिया, परपोडी, धमधा, ननकट्टी, जेबरा

2. बिलासपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत :—

क्र. (1)	कहां से कहां तक (2)	व्हाया (3)
1.	लोरमी से डिडौरी	खाम्ही, राम्हेपुर
2.	अंबिकापुर से तिखरी	लटोरी, सिलफिली, विश्रामपुर, मानी, चाक, महंगई
3.	कुसमी से चान्दो	सामरी
4.	मकरीबंधा से जशपुर	करडेगा, सीकड़ा, दुलदुला, कस्तुरा, लोरो
5.	स्वांग से पत्थलगांव	लोरो, जमरदी, धर्मजयगढ़
6.	तारा से चर्चा	प्रेमनगर, श्रीनगर, कुडेली, बैकुंठपुर
7.	उमेश्वरपुर से चरचा	सुरता, पोडी, श्रीनगर, कुडेली, बैकुंठपुर
8.	उमेष्वरपुर से अंबिकापुर	कोतल, लक्ष्मीपुर, डांडगांव, उदयपुर, लखनपुर
9.	परषुरापुर से अंबिकापुर	उमेष्वरपुर, कोतल, प्रेमनगर, तारा, डांडगांव, उदयपुर, लखनपुर
10.	बकरिमा से अंबिकापुर	केदारपुर, प्रेमनगर, सलका, मुड़गांव, डांडगांव, उदयपुर, लखनपुर

(1)	(2)	(3)
11.	सामरवार से कांसाबेल	बिमड़ा, नटकेला, महादेवगढ़
12.	पेण्ड्रारोड से अकलतरा	सधवानी, जोगीसार, कारीआम, केंदा, बेलगहना, रतनपुर, बेलतरा, सीपत, बलौदा
13.	घुमरा से बगीचा	तपकरा, पंड्रीपानी, रसबहार, छाताबार, कांसाबेल, बटईकेला
14.	रायगढ़ से पत्थलगांव	पूंजीतपतरा, तमनार, सरईडेगा, मिलूपारा, तोलगे, लइलूंगा, राजपुर, कोडसिया
15.	गजियाडीह से रायगढ़	कोलेनझरिया, सायडिह, सोनाजोरी, लैलूंगा, लारीपानी, घरघोड़ा, तरईमाल
16.	कुकरगांव से रायगढ़	काडरो, लैलुंगा, तोलगे, मिलूपारा, गारे, तमनार, पूंजीपतरा
17.	लैलूंगा से रायगढ़	झगरपुर, महिरा, पेलमा, उरवा, मिलूपारा, तमनार, पूंजी पत्थरा
18.	लैलूंगा से रायगढ़	झगरपुर, महिरा, पेलमा, चोटीगुडा, कोटरीमाल, घरघोड़ा, तराईमाल
19.	पेलमा से रायगढ़	चोटीगुडा, कोटरीमाल,,घरघोड़ा, तर्ईमाल
20.	बगीचा से रायगढ़	रनपुर, जोगबहला, बंदरचुआ, दोकड़ा, फरसाबहार, बागबहार, कोतबा, लैलूंगा लारीपानी, घरघोड़ा, तराईमाल.
21.	कोरबा से भटगांव	अकलतरा, पामगढ़
22.	कोरबा से भटगांव	नवागढ़
23.	बांकीमोगरा से भटगांव	अकलतरा, पामगढ़
24.	बांकीमोगरा से भटगांव	नवागढ़
25.	पेण्ड्रारोड से अकलतरा	जोगीसार, कैंदा, बेलगहना, रतनपुर, बेलतरा, सीपत, [illegible]
26.	वाड्रफनगर से डाल्टेनगंज	त्रिकुंडा, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा, गढ़वारोड स्टेशन
27.	वाड्रफनगर से कांडी	त्रिकुंडा, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका गढ़वा, गढ़वारोड स्टेशन
28.	घुटरीटोला से डाल्टेनगंज	मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, दतियामोड, भटगांव, जर[illegible], नागपुर, कोचली, बलरामपुर, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा.
29.	पेण्ड्रारोड से बजाग	करंगरा, पोडकी, अमरकंटक, कबीरचबुतरा, करंजिया, [illegible]रखपुर, गाढसरई
30.	जयसिंग नगर से कोटोडोल	कुबरी, अमझोर, सीधी, जनकपुर
31.	जयसिंग नगर से कोटाडोल	अमझोर, सीधी, चांटी, जनकपुर, खमरोद, कोटाडोल

(1)	(2)	(3)
32.	भर्रीदाड़ से पड़ोर	दानुकुण्डी, मरवाही, बरोर, आमादाण्ड़ प्यारी, भालूमाडा, कोतमा, बदरा, जमुना, परासी.
33.	मरवाही से शहडोल	बरोर, बरतराई, आमादाण्ड, झिरियाटोला, राजनगर
34.	शहडोल से कोटाडोल	जनकपुर, भगवानपुर
35.	पेण्ड्रारोड से चाका	मरवाही, राजनगर, बिजुरी, कोतमा
36.	माडीसराई से अनूपपुर	जनकपुर, बहरासी, रामगढ़, कुंवारपुर, साकी, जैतपुर, केसवाही, गिरवा
37.	बरोर से केल्हारी	आमादाण्ड, राजनगर, बिजुरी, कोठी, केल्हारी
38.	मकरीबांधा से तोरतेंगा	खालीझोर, कुरडेग, सांवा, सांपधारा, दुलदुला, लोरो, जशपुर, घोलेंग
39.	अंबिकापुर से कंदरी	राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, गोदरमना, भण्डरिया, बडगड, भुटकी, करचा, चांदो.
40.	सीपत से डाल्टेनगंज़	बलौदा, हरदीबाजार, दीपका, गैवरा, सुतर्रा, कटघोरा, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा, रेहला, पडवामोड.
41.	अंबिकापुर से भवनाथपुर	राजपुर, बलरामपुर, रंका, गढ़वा, नगर
42.	धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव	खम्हार, कापू, किलकिला
43.	धर्मजयगढ़ से सीतापुर	खम्हार, कापूर, जामक्रांनी, चलता
44.	धर्मजयगढ़ से अंबिकापुर	खम्हार, कापूर, कुंगरता, केसरा, नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर, दरिमा
45.	घरघोड़ी से नीलूपारा	घरघोड़ा, पूंजीपतरा, रायगढ़, पूंजीपतरा, तमनार
46.	घरघोड़ा से खरसिया	कंचनपुर, नवागढ़, गुमडा, टेंडानवापारा, बोजिया, छाल, एडू, चोढ़ा
47.	घुंटरीटोला से रामानुजगंज	मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, वजारीडाड, दुगछोला, खडगांव.
48.	बरोर से कोडा	उसरा, बेलझरिया, कांसा, पेहरा
49.	बांकीमोगरा से चिरमिरी	सूतर्रा, कटघोरा, चोटिया, कोरबी, खडगंवा
50.	बेलगेहना से कोरबा	खेरा, सिल्ली, पोडी, पाली, चेतमा, कटघोरा, दर्री
51.	कापू से अंबिकापुर	कुमरता, केसरा, नमर्दापुर, कमलेश्वरपुर, दरिमा

(1)	(2)	(3)
52.	कापू से बगीचा	चलता, सीतापुर, भुरता, बेवई, जुजबू, महादेवडाड
53.	कोहरीमाल से रायगढ़	अराई, बरकसपाली, सराईडीपा, तमनार, पूंजीपतरा, लाखा
54.	कोटाडोल से अंबिकापुर	जनकपुर, केल्हारी, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सुरजपुर, विश्रामपुर
55.	कुपा से अंबिकापुर	भैंसामुडा, सलका, दतिमा, लटोरी
56.	कुसमी से बगीचा	रेहमी, महनई
57.	कुसमी से रायगढ़	डीपाडी, सन्ना, बगीचा, सीतापुर, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
58.	कुसमी से जमनीपाली	सन्ना, बगीचा, सीतापुर, पत्थलगांव, हाटी, कोरबा
59.	कुनकुरी से खरसिया	बन्दरचुआ, दोकडा, पण्डरीपानी, बागबहरा, कोतबा, लैलूंगा, घरघोड़ा, छाल
60.	कोतबा से जशपुर	बागबहरा, फरसाबहरा, तपकरा, हल्दीमुडा, मकरीबांधा, लोरो
61.	केल्हारी से अंबिकापुर	मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, सिलफिली
62.	महेशपुर से सूरजपुर	प्रेमनगर, गणेशपुर, श्रीनगर, कलुआ
63.	माटीपहाडछर्रा से कुनकुरी	भेलवा, अंकेरा, पण्डरीपाली, दोकड़ा, बन्दरचुआ
64.	मनेन्द्रगढ़ से कसडोल	शिवपुर, पिपरिया, कोरबी, चोटिया, कटघोरा, कोरबा, चांपा, पामगढ़
65.	मनेन्द्रगढ़ से शिवरीनारायण	नागपुर, चिरमिरी, कोरबी, चोटिया, कटघोरा, कोरबा, चांपा, पामगढ़
66.	मनेन्द्रगढ़ से रामानुजगंज	बैकुंठपुर, पटना, सुरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, राजपुर
67.	बिलासपुर से बस्तीबगरा	रतनपुर, केंदा, बसंतपुर, बस्ती
68.	बिलासपुर से अमरकंटक	कोटा, छपराव, अचानकमार्ग, केंवची, कबीरचबुतरा
69.	बिलासपुर से मालखरौदा	सीपत, बलौदा, जांजगीर-चांपा, बाराद्वार, जैपुर, कचेन्दा
70.	बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़	रतनपुर, कटघोरा, कोरबी, पिपरिया, शिवपुर
71.	बिलासपुर से बिल्लीवन	गनियारी, कोटा
72.	बिलासपुर से टिकरखुर्द	कोटा, बेलगहना, केंदा, पेण्ड्रा, बस्तीबगरा
73.	बिलासपुर से सकर्रा	सकरी, सलमपुर, पोंड, हमसेना, घुटेना, भुर्रा

(1)	(2)	(3)
74.	बिलासपुर से जशपुर	रतनपुर, कटघोरा, कोरबा, रामपुर, छाल, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी
75.	सिकोट से समरबार	कुसमी, डीपाडीह, बगीचा
76.	चिरमिरी से धनवार	बैकुठपुर, भैयाथान, लटोरी, भैंसामुडा, प्रतापपुर, वाड्रफनगर
77.	भटगांव से कुसमी	प्रतापपुर, राजपुर, शंकरगढ़
78.	पंड्रीपानी से कासाबेल	सेमरकसार, दोकडा
79.	पण्डरिया से कुकदुर	पाढ़ी, खिरमिट्टी, देवसरा, पत्थलगांव, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, रायगढ़
80.	पत्थलगांव से सोनक्यारी	कांसाबेल, बटईकेला, महादेवदाड, बगीचा, पंड्रापाट, सन्ना
81.	पुडू से तखतपुर	रतनपुर, कोटा, दैजा, बीजा
82.	प्रतापपुर से चिरमिरी	भैंसामुण्डा, भैयाथान, पटना, बैकुंठपुर
83.	प्रतापपुर से रामानुजगंज	परसवार, कोचली, सेमरसोत, बलरामपुर
84.	प्रतापपुर से काण्डी	परसवार, कोचली, सेमरसोत, बलरामपुर, रामानुजगंज, गढ़वा
85.	प्रतापपुर से राजपुर	गोपालपुर
86.	प्रतापपुर से चलगली	परसवार, सेमरसोत, बलरामपुर, रामानुजगंज, पिपरोल, केरता, मानिकपुर
87.	रघुनाथपुर से अंबिकापुर	वाड्रफनगर, प्रातपपुर, सोनगरा
88.	रमकोला से सुरजपुर	प्रतापपुर, सल्का, विश्रामपुर, श्रीनगर, गुणापारा, प्रेमनगर
89.	रायमीर से अंबिकापुर	सुपकालो, मखनाकोट, कापू, कुमरता, केसरा, कमलेश्वरपुर, दरिमा
90.	रामानुजगंज से भाला	महाबीरगंज
91.	रामानुजगंज से चलगली	पिपरोल, केरता, मानिकपुर
92.	राजपुर से कुप्पा	मोहापारा, जजावल
93.	राजपुर से कुप्पा	प्रतापपुर, महुआपारा, जजावल
94.	राजपुर से पत्थलगांव	धौरपुरर, लुण्ड्रा, रघुनाथपुर, बतौली, सीतापुर
95.	राजपुर से बलरामपुर	प्रतापपुर, रनहत, चलगली, भगवानपुर, बरतीकला, राजकछार, तिवरीमहुआ

(1)	(2)	(3)
96.	रनपुर से रायगढ़	फलीबां, कुनकुरी, तपकरा, पत्थलगांव, राजपुर, लैलूंगा, घरघोड़ा
97.	सरदापुर से रामानुजगंज	वाड्रफनगर, महावीरगंज, चांकी
98.	सरिया से खरसिया	बरगांव, चन्द्रपुर, सपोस, डभरा
99.	सरिया से सारंगढ़	बोंदा, गोवरसींघा, बरमकेला, मलदा
100.	सीतापुर से बाल्को	पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, हाटीकोरबा
101.	सीतापुर से पत्थलगांव	तमता, बगीचा
102.	सामरवार से कासाबेल	बीमडा, नटकेली, बामा, महादेवदाड, बिटईकेला
103.	सामरवार से रायगढ़	बिमड़ा, जुंजगु, महादेवदाड, कासाबेल, लूडेंग, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
104.	सोनक्यारी से कुनकुरी	सन्ना, पंड्रापाट, बगीचा, नारायणपुर
105.	सोनक्यारी से पत्थलगांव	सन्ना, कबई, पंड्रापाट, रेनी, बगीचा, महादेवदाण्ड, कासाबेल
106.	सोनक्यारी से रायगढ़	सन्ना, पंड्रापाट, रेनी, बगीचा, महादेवदाण्ड, कांसाबेल लूडेगा
107.	सोनक्यारी से तपकरा	सन्ना पंड्रापाट, रेनी, बगीचा, सरकुम्भे, कुनकुरी
108.	सुरजपुर से महेशपुर	देवनगर, श्रीनगर, गुणापारा, नवापारा, बकीरमा
109.	उरदरा से भटगांव	लूंड्रा, रघुनाथनगर, अंबिकापुर, लटोरी, जरहीमोड, भटगांव
110.	दीपका से गिधौरी	अकलतरा, हरदीबाजार, धतुरा, कोरबी, खिसोरा, बलौदा
111.	वाड्रफनगर से बलंगी	रघुनाथपुर
112.	चर्चाकालरी से उदयपुर	बैकुंठपुर, कुडेली, श्रीनगर, सुरतापोडी, सुरजपुर, केतका, महगई
113.	चांपा से मरियरा	बम्हनीडीह, बिर्रा, बसंतपुर, करही, पेड्री, चिस्दा, [illegible]टेया, उदयपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर.
114.	चलगली से चिरमिरी	भैसामुण्डा, भैयाथान, पटना, बैकुंठपुर
115.	चलगली से चिरमिरी	प्रतापपुपर, भैयाथान, पटना, बैकुठपुर
116.	चलगली से सुरजपुर	रनहत, प्रतापपुर, सलका, विश्रामपुर

(1)	(2)	(3)
117.	तमता से रायगढ़	कुलेता, सुरेषपुर, बेनाटांगर, पत्थलगांव, राजपुर, लैलूंगा, घरघोड़ा
118.	तामता से रायगढ़	सुरेषपुर, बेनाटांगर, किलकिला, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
119.	तोलमा से जलडेगा	मुकडेगा, लैलूंगा, लारीपानी, कटईपाली, सिसरिंगा, धर्मजयगढ़, खम्हार, चाल्हा
120.	जांजगीर से बाकीमोगरा	जबें, बलौदा, बुडगेहना, हल्दीबाजार, गेवरा, जांजगीर, अकलतरा पामगड़, शिवरीनारयण, गिधौरी.
121.	जनकपुर से अंबिकापुर	मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सुरजपुर, विश्रामपुर, सिलफिली
122.	जलडेगा से पत्थलगांव	चाल्हा, बताती, खम्हार, कापू, किलकिला
123.	जलडेंगा से रायगढ़	चाल्हा, खम्हार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
124.	चलडेगा से सीतापुर	चाल्हा, बताती, खम्हार, कापूर, जामकानी, चलता, नागपुर, पोण्डी, कोरिया, चिरमिरी.
125.	नवागढ़ से बाकीमोगरा	जांजगीर, बलौदाा, हरदीबाजार, दीपका
126.	अखोरा से प्रेमनगर	कल्याणपुर, लोरी, दतिमा, विश्रामपुर, सूरजपुर, कुशणपुर
127.	अंबिकापुर से केंदमा	लखनपुर, फुलपुर, कुत्री, बिनिया
128.	अंबिकापुर से भैयाथान	लटोरी, दतिमा, नवापारा
129.	अंबिकापुर से पंड्रीपानी	बतौली, सीतापुर, सरगा, केरजू, कांसाबेल
130.	अंबिकापुर से जशपुर	बतौली, बगीचा, कासाबेल, कुनकुरी
131.	अंबिकापुर से जशपुर	बतौली, बगीचा, सरफ, कम्बो, रनखोर, कुनकुरी
132.	अकलतरा से कटघोरा	बलौदा, बुदंगेहना, हरदीबाजार, दीपका, जवाली, चाकामुण्डा
133.	अंबिकापुर से बचरापोडी	विश्रामपुर, सुरजपूर, पटना, बैकुंठपुर, खदोरा, चिरमी
134.	अंबिकापुर से बचरापोडी	लटोरी, दतिमा, विश्रामपुर, सुरजपुर, कलुआ, श्रीनगर बैकुठपुर
135.	अंबिकापुर से बगीचा	रघुनाथपुर, लुड्रा, बीराबोदा, दुर्गापारा, बिमडा
136.	अंबिकापुर से कुनकुरी	रघुनाथपुर, लुड्रा बीराबोदा, दुर्गापारा, बिमडा
137.	अंबिकापुर से चिरमिरी	लटोरी, दमिमामोड, सलका, भैयाथान, बैकुठपुर, बंजारीदाण्ड, दुबछोला

(1)	(2)	(3)
138.	अंबिकापुर से चिरमिरी	लटोरी, दमिमामोड, सलका, भैयाथान, दोना, पटना, बैकुंठपुर, चर्चा
139.	अंबिकापुर से रायगढ़	बतौली, सीतापुर, कापू, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
140.	अंबिकापुर से रामानुजगंज	खडगांव, प्रतापपुर, चलगली, मानिकपुर, आरागाही
141.	अंबिकापुर से डाल्टेनगंज	खडगांव, प्रातपपुर, चलगली, मानिकपुर, आरगाही, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका
142.	अंबिकापुर से राजपुर	परसा, ककना, बरियों, परसागुडी
143.	अंबिकापुर से शंख	रघुनाथपुर, बतौली, बगीचा, नारायणपुर, केराडीह, जोकारी, जशपुर
144.	अंबिकापुर से गुमला	रघुनाथपुर, बतौली, बगीचा, नारायणपुर, केराडीह, जोकारी, जशपुर, शंख
145.	अंबिकापुर से शारदापुर	लटोरी, सोनगरा, प्रतापपुर, घोंघा, भगवानपुर
146.	अंबिकापुर से चपोता	खडगांव, प्रतापपुर, घोंघा, वाड्रफनगर, रघुनाथपुर, जनकपुर
147.	अंबिकापुर से जशपुर	रघुनाथपुर, आशाकला, वरगीडीह, शिवपुर, बिमडा, बगीचा, नारायणपुर
148.	अंबिकापुर से जशपुर	लुंड्रा, बीरा, बोदा, दुर्गापारा, गिमडा
149.	फरसिया से हसौद	जैजपुर, कंचदा, मालखरोदा, सक्ति, बाराद्वार, जैजपुर
150.	गंजियाडीह से तमता	कोतबा, बागबहरा, लूडेग, गहमा, शिवपुर, पत्थलगांव, खिलखिला, गहनाटागर, सुरेशपुर, फुलेता.
151.	लवाकेरा से सीतापुर	तपकरा, फरसाबहार, छाताबहार, कांसाबेल, कुरेज

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर,, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2006

शुद्धि पत्र

क्रमांक-एफ 9-64/32/2005.—विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ 9-64/32/2005 दिनांक 16-1-2006 में पैरा-2 में "उपरोक्त मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में वर्णित मध्य क्षेत्र के बाहर ही स्वीकार्य होंगे. इसी प्रकार माना हवाई

अड्डा मार्ग (व्ही.आई.पी. मार्ग) एवं उससे जुड़ने वाले अन्य मार्गों पर पूर्णत: तथा विधान सभा मार्ग पर, शंकरनगर बड़ी रेल्वे लाईन के पश्चात् मार्ग के दोनो ओर 100 मीटर गहराई तक मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल स्वीकार्य नहीं होगे.'' को शामिल करते हुए पढ़ा जावे.

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 9-85/32/2005.—छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियामें में,—

नियम-5 के उप नियम (7) के खंड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (चार) अंत: स्थापित कियां जाये, अर्थात् :—

''(चार) ऐसी गैर आवासीय सम्पत्तियां जो सामाजिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक प्रयोजन की हो तथा ऐसे शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय (नर्सिंग होम को छोड़कर) एवं धर्मशाला जो लाभ अर्जन के लिए स्थापित न हो, के अनाधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति नियम 5 के उप नियम (7) के खंड (दो) एवं (तीन) के अधीन दी गयी शास्ति की अनुसार प्राक्कलित राशि का 50 (पचास) प्रतिशत होगा.''

Raipur, the 27th April 2006

No. F-9-85/32/2005.—In exercise with the powers conferred by section 13 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Niyam, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After clause (iii) of sub rule (7) of rule 5, the followig clause (iv) shall be inserted namely :—

"(iv) For such non residential properties which are of social, religious or cultural use and such educational instituions, hospital (excluding nursing homes) and Dharmashalas which are not establihsed for making profits, penalty for un-authorised development in each such cases shall be 50 (fifty) percent of the estimated amount of penalty given under clause (ii) and (iii) of sub-rule (7) of rule 5."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक 12/अ-82/03-04 भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	खैरझिंटी प.ह.नं. 10	1.41	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली, जिला बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य (वेस्ट वियर.)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 अप्रैल 2006

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सनकपाट प.ह.नं. 5	30.186	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	मोहपाड़ जलाशय के [illegible] कार्य के एफलक्स एवं डु[illegible]ान क्षेत्र में प्र[illegible]वित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 अप्रैल 2006

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	झिंगरा डोंगरी प.ह.नं. 5	21.121	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	मोहपाड़ जलाशय के शीर्ष कार्य के एफलक्स एवं डुबान क्षेत्र में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 29 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भोयटोला प.ह.नं. 3	7.125	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	मोहपाड़ जलाशय के शीर्ष कार्य के एफलक्स एवं डुबान क्षेत्र में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पेदन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक 369/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	काचरी प. ह. नं. 24	1.34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा.	तेन्दूभाठा काचरी हरडुवा मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक 370/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	तेन्दूभाठा प. ह. नं. 28	1.37	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा	तेन्दूभाठा काचरी हरडुवा मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 2737/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	झूंरानदी प.ह.नं. 19	32.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	भेड़रा जलाशय के अंतर्गत बांधपार, डूबान तथा उलट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 2738/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गभरा प.ह.नं. 19	10.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	भैरवा जलाशय के अंतर्गत बांधपारा एवं डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	बंसीताल	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बंसीताल भरीडांड मार्ग पर सोन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेंड्रारोड कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

क्रमांक 3/ अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खा (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत क ा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भर्राकोना	0.720	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रवा जलाशय नहर निर्माण तु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

प्रकरण क्रमांक 4/ अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	धरदेही	0.18	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	धरदेही जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2005

क्रमांक/क/वा. भू.अ./ अ.वि.अ./प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प. ह. नं. 100	5.906	महाप्रबंधक, जि. व्या. एवं उ. केन्द्र, रायपुर.	एप्रोच रोड हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा. भू.अ./ अ.वि.अ./प्र. क्र. 2 अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	परसदा प. ह. नं. 8	0.518	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा रायपुर, छ.ग.	भाटापारा शाखा नहर के गुजरा शाखा नहर अंतर्गत गुजरा माईनर नं. 1 निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा. भू.अ./ अ.वि.अ./प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	भुरसुदा प. ह. नं. 8	1.392	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा रायपुर, छ.ग.	भाटापारा शाखा नहर के गुजरा शाखा नहर अंतर्गत गुजरा माईनर नं. 2 निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा./भू.-अर्जन//प्र. क्र. 2 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बोहारडीह प. ह. नं. 15	8.153	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा./भू.-अर्जन/प्र. क्र. 4-अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	साहंडा प. ह. नं. 14	3.290	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा./भू.-अर्जन./प्र. क्र. 5-अ/82 वर्ष 2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	लटेरा प. ह. नं. 14	16.338	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा./भू-अर्जन/प्र. क्र. 6 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	कुंची प. ह. नं. 15	10.514	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 7-अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	हरिनभट्ठा प. ह. नं. 15	5.318	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	पझरापाली प.ह.नं. 13	2.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	लमकेनी-सरायपाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2006

रा. प्र. क्र. 3/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बरहोल	19.293	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर सरगुजा (छ.ग.).	बरहोल जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं मुख्य नहर
		बकना	2.122		
		मदरेश्वरपुर	4.053		
			25.468		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-लोतलोता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-34.552 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1	0.202
221	1.554
55/2	0.202
55/3	0.053
57/1	0.170
82/2	0.081
180/1	0.324
180/2	0.263
180/3	0.610
183/1	0.089
183/3	0.235
187/3	0.081
187/4	0.170
183/2	0.485
183/4	0.255

(1)	(2)
269/1	0.040
241/2	0.142
246/7	0.016
183/5, 184	0.287
183/6	0.129
187/1	0.138
187/5	0.040
185	0.105
266	0.178
187/2	0.097
188	0.049
206	0.008
207	0.040
235/1	0.146
208	0.073
232, 233	0.490
259	0.178
275, 276, 278/1	0.817
279	0.393
209	0.097
211	0.016
277	0.024
228/1	0.405
226	0.008
212/1	0.170
229	0.028
410/1	0.142
238/2	0.089
410/3	0.186
411/2	0.304
212/2	0.174
216	0.243
218	0.227
315/2	0.340
315/1	0.348
223	0.089
224	0.109
227/1	0.384
225	0.097
238/1/ग, 239/9	0.061
227/2	0.028
246/16	0.081
239/1	0.421
228/2	0.008
289/1/3	0.081
230	0.121

(1)	(2)
267/3	0.016
407/2	0.040
271/4	0.020
289/1/3	0.016
226/2	0.109
262/3	0.073
246/6	0.016
231	0.314
416/2	0.045
234	0.105
235/2	0.137
237	0.049
236	0.121
288	0.049
281, 282	0.400
273/2	0.032
238/1/ख	0.032
251	0.057
252, 253/2	0.307
274/2	0.466
238/3	0.032
239/2	0.134
244	0.206
241/1	0.647
240	0.324
242	0.570
245	0.069
316	0.032
314	0.061
317	0.028
331/3	0.502
246/3	0.081
271/1	0.243
262/1	0.049
285/1	0.324
271/2	0.028
289/1/ज	0.012
289/1/छ	0.028
289/1/छ	0.028
332/1	0.105
243/2	0.081
243/3, 246/2	0.186
243/5	0.012
243/6	0.012
243/7	0.012

(1)	(2)
243/8	0.041
246/8	0.016
246/9	0.202
239/3	0.146
424/2	0.125
424/1	0.125
423	0.040
246/10	0.081
422/4	0.061
416/1	0.045
446/11	0.101
246/14	0.081
246/15	0.101
246/16	0.081
246/17	0.040
246/18	0.020
246/19	0.081
247	0.065
249	0.049
290/2	0.081
286	0.138
290/3	0.384
404/2	0.129
407/1	0.081
250	0.089
255	0.266
254	0.065
253/1	0.283
278/2	0.020
406	0.053
273/1	0.032
258	0.186
289/1/ग	0.024
287	0.036
285/2	0.486
261	0.304
409/3	0.263
289/1/ख	0.174
289/1/ट	0.012
332/2	0.105
246/5	0.012
271/3	0.008
267/2	0.016
262/2	0.049
246/13	0.069
271/5, 272	0.052
289/3	0.016
280/1	0.378
280/2	0.405
289/4	0.016
289/2	0.016
291/2	0.032
403	0.097
292 ब	0.162
205	0.089
298	0.093
294, 295	0.052
296	0.012
297	0.138
301	0.101
304/2, 306/2	0.133
306/3	0.016
307, 310/2	0.243
310/3	0.129
331/1	0.275
331/2	0.016
318/1	0.405
375/2, 394	0.137
377/2	0.081
404/1	0.032
408	0.170
409/1	0.570
409/2	0.259
416/3	0.101
419	0.454
425	0.036
424/3	0.040
योग	34.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 21 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैनाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.105
योग	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./6-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोरियाकला, प.ह.नं. 117
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1493/1	9.103
1495	8.583
1496	0.069
1498	27.027
योग 4	44.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचना, प.ह.नं. 110
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.556 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
524	2.092
1196	3.464
योग 2	5.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनडोंगरी, प.ह.नं. 107,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.344 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
613/31	0.316
613/37, 613/38	0.503
613/39	0.287
613/66	0.154
613/68	0.279
613/108	0.809
613/133	0.154
629/2	0.957
655	0.930
657/2	0.347
657/4	0.608
योग 11	5.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./23-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जरवाय, प.ह.नं. 103
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.779 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
724/2	0.295
742/3	0.426
744/1	0.061
742/7	0.012
742/8	0.006
742/9	0.023

(1)	(2)
746/1, 749/2	0.395
746/2	0.202
748	0.372
749/3	0.139
749/4	0.117
749/5	0.140
760	0.202
761/1	0.656
761/6	0.061
770	0.117
771/2	0.160
773/2	0.121
773/1, 774/1	0.091
773/3	0.034
773/4, 774/2	0.012
773/5	0.019
773/6	0.012
773/7	0.028
778/1	0.283
778/16, 781/75	0.280
778/17, 781/76	0.280
778/18, 781/77	0.280
778/19, 781/78	0.280
778/20, 781/79,	0.080
778/21, 781/85	0.283
778/22, 781/86	0.283
778/23, 781/87	0.283
778/3	0.025
778/7	0.049
778/8	0.166
778/26	0.139
778/27	0.068
778/9	0.027
778/24	0.036
778/25	0.036
योग 52	6.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 2739/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6/4	0.02
6/5	0.65
7/5	0.12
7/6	0.09
10/7	0.50
10/8	0.05
10/12	0.05
10/13	0.15
10/14	0.13
10/16	0.45
23/4	0.62
24	0.02
25/2	0.15
25/3	0.47
26	0.30
86/1	0.15
89	0.10
90	0.04
91/1	0.22

(1)	(2)
91/2	0.30
137/4	0.18
137/5	0.40
138/1	0.03
144/2	0.07
145	0.55
146	0.05
147	0.60
149/2	0.18
150	0.27
152/7	0.15
152/8	0.25
152/9	0.36
162/1	0.30
162/3	0.22
162/4	0.42
162/6	0.45
163/1	0.05
163/2	0.25
192/1	0.35
192/4	0.07
216	0.21
218/1	0.15
218/2	0.18
218/3	0.05
219	0.05
220/3	0.02
220/4	0.10
220/5	0.11
223	0.23
224	0.17
225/5	0.10
225/6	0.40
225/8	0.30
225/9	0.30
योग	12.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 2740/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-भरदागोड़, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.64 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
289/2	0.05
289/5	0.27
290/1	0.54
292	0.39
294/2	0.39
योग 5	1.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 333/रा.नि./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पंडरिया
(ग) नगर/ग्राम-दशरंगपुर, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
319/5	0.13
318/3, 319/3	0.12
318/2	0.19
318/5, 319/7	0.13
323/2	0.03
220/5	0.12
209	0.73
योग 9	1.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मेन रोड से पलानसरी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 335/रा.नि./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित (1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(ख) तहसील-पंडरिया
(ग) नगर/ग्राम-नवागांवकला, प.ह.नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 एकड़-

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
6/3	0.12
7	0.62
8/1	0.20
योग 3	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मेन रोड से भलपहरी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय मे देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 337/रा.नि./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-चरखुरा कला, प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
341	0.04
565	0.07
565	0.01
332	0.06
334	0.76
325	0.13
324	0.12
319	0.06
318	0.10
316	0.07
615	0.05
567	0.03
315/1	0.08
581/1	0.03
479/1	0.03
478/1	0.10
369/2	0.06
368/3	0.09
368/4	0.05
368/1	0.05
366/2	0.06
367/3	0.04
365	0.10
595	0.04
582	0.02
580	0.03
579/1	0.03
573	0.02
566/2	0.06
योग 29	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मेन रोड से भलपहरी सड़क निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 1/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-लोरमी

(ग) नगर/ग्राम-पथर्री, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.407 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/1, 196/3	0.012

(1)	(2)
194/3	0.024
195/11, 196/5	0.053
195/5, 196/1	0.020
195/2, 3	0.040
195/9, 195/10	0.012
194/5	0.045
190	0.040
177/2, 188/2, 189/2	0.40
193/2	0.001
17773, 188/3, 189/3	0.020
186/2	0.040
योग 12	0.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के एफलक्स बंड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), लोरमी क कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रेल 2006

क्रमांक 2/अ-82/2005 2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि क। अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-धनियांडोली, प.ह.नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
225	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के एफलक्स बंड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 3/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-लंघवाटोला, प.ह.नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
213/1 क	0.057
190/2	0.032
योग 2	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के एफलक्स बंड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ 67/05-06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम राबो, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ से पानी परिवहन हेतु ग्राम तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और ,राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 (इक्कीस) दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	घरघोड़ा	सलिहाभंठा/32	कुल खसरा 14	0.488
	घरघोड़ा	तमनार/38	कुल खसरा 4	0.126
	घरघोड़ा	बासनपाली/37	कुल खसरा 44	1.479
	घरघोड़ा	गोढी/38	कुल खसरा 4	1.426
	घरघोड़ा	आमाघाट/37	कुल खसरा 59	2.929
	घरघोड़ा	पडकीपहरी/34	कुल खसरा 13	0.144
	घरघोड़ा	सामारूमा/34	कुल खसरा 14	1.307
	घरघोड़ा	पुंजीपथरा/34	कुल खसरा 4	0.263
	घरघोड़ा	तुमीडीह/21	कुल खसरा 21	0.860
	घरघोड़ा	छर्राटांगर/21	कुल खसरा 20	1.360
	घरघोड़ा	राबो/34	कुल खसरा 8	0.603
	घरघोड़ा	डोकरगुडा/21	कुल खसरा 28	1.590

हस्ता./-
सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th August 2005

No. 506/III-8-2/2001.—In exercise of the power conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 21 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) the High Court of Chhattisgarh makes following rules viz. :—

THE FAMILY COURTS (CHHATTISGARH HIGH COURT) RULES, 2005

1. **Short Title, :—Commencement and Application :—**

(1) These rules shall be called "Family Court (High Court of Chhattisgarh) Rules, 2005".

(2) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Family Courts established in the State of Chhattisgarh.

2. **Definitions** :—In these rules unless the context otherwise requires :—

a. "Act" means the Family Courts Act, 1984 (Act No. 66 of 1984).

b. "Family Court" means the Court establihsed under Section 3 of the Act.

c. "Government" means the Government of Chhattisgarh.

d. "High Court" means the High Court of Chhattisgarh.

e. "Judge" means the Judge appointed under sub-section 1 of Section 4 of the Act and includes a Principal Judge or Additional Principal Judge of the Family Court.

f. All other words and expressions not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Working hours** :—

(1) The normal working hours of the Court shall be from 11.00 A. M. to 5.00 P. M. with a recess break from 2.00 P. M. to 2.30 P. M.

(2) The Judge may, for expendience, hold proceedings of the Court beyond the working hours as prescribed in sub-rule (1) above and even on holidays.

Provided that no such proceeding on holidays shall be held under the sub-rule except with the consent of the Counsellors, Representatives of the Social Organization and parties to the proceedings.

4. **Place of Sitting** :—The Judge of the Family Court may sit at places other than the ordinary places of sitting in consultation with the Counsellors and the parties to the proceedings.

5. The provisions of the legal aid scheme may be invoked in appropriate cases in the proceedings under the Act.

6. **Institution of proceedings** :— All proceedings instituted before the Family Court will be by way of plaint. However, in respect of applications under Chapter IX of the Criminal Procedure Code, the provisions of that Code shall apply.

7. The plaint or application, affidavits, relevant annexures shall be filed along with the copies thereof as fixed by the Court before an officer designated by the Court.

8. **Proceeding for summons etc.** :—In all proceedings the writ of summons to appear an answer shall be in the appropriate forms prescribed for civil and criminal courts with such modification as may be considered necessary and expedient by the Court.

9. All writs of summons except orders, warrants and other processes shall be signed by the designated officer of the Court and shall bear the seal of the Court and orders, warrants and other processes shall be signed after due verification by the Presiding Judge.

10. A writ of summons shall be served in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure, save and except the proceeding under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure where the provisions of that code will apply.

11. **Counselling** :—On the returnable date of the summons, the Judge shall, on the same day, or on any subsequent date in consultation with the Counsellor, direct the parties to the proceedings to attend the Counsellor for the purpose of Counselling.

Provided that the Judge, while briefing the Counsellor shall bear in mind the nature of the dispute, the convenience of the parties, the special requirement of the case in hand and other ancillary matters.

12. The Counsellor appointed to counsel the parties shall fix the time and date of appointment. The parties shall be bound to attend the Counsellor on the date and at the time so fixed.

13. If either of the parties fails to attend the Counsellor on the date and time so fixed, the Counsellor may fix another date and shall communicate the same to the absentee party by registered post. In case of default by either of the parties on the adjourned date, the Counsellor shall submit a report to the Court and on receipt of such report, the Court may proceed with the matter in the absence of the defaulting party without prejudice to other powers of the Court to take action against the defaulting parties.

14. The Counsellor interested with any petition, on appearnce of the parties before him, shall assist and advise the parties regarding the settlement of the subject matter of dispute and shall endeavour to help the parties in arriving at concilliation.

15. (1) The Counsellor may, in descharge of his duties, visit the home of either of the parties and interview the relatives, friends and acquaintances of either of the parties.

(2) The Counsellor in discharge of his duties, may also seek such information as he deems fit from the employer of either of the party and such requisition for information shall be made through the Court.

(3) The Counsellor may take the assistance of any organization, institution or agency, approved by the High Court, in discharge of his duties.

16. The Counsellor shall submit a report to the Court as and when called for to assist the Court in deciding the case in hand. The report may, inter alia, contain the following points :—

(a) Living environment of the parties concerned;
(b) Personalities;

(c) Relationship;
(d) Income and standard of living;
(e) Status in society;
(f) Counsellors opinion and findings.

17. The Counsellor may also supervise the child/children if and when called upon by the Court.

18. **Confidentiality of Information** :— Information gathered by the Counsellor or any statement made before the Counsel or any notes or report prepared by the Counsellor shall be treated as confidential and the Counsel shall not be called upon to disclose such information, statement, notes or report of any Court except with the consent of both the parties.

19. **Settlement** :—When the parties arrive at a settlement before the Counsellor relating to the dispute or any part thereof, such settlement shall be reduced into writing and shall be signed by the parties and counter signed by the Counsellor.

20. The proceedings before the Court shall be heard and disposed of, as expeditiously as possible and preferably within three months and in achieving the objective, the rules or procedure may not rigidly adhered to.

21. **High Court's power to supervise etc.** :—For carrying out the purpose of the Act and for ensuring the uniformity of practice to be observed by the Family Courts and for expeditious disposal, the High Court may from time to time supervise and inspect the Family Court and issue directions, circulars etc., to the Family Court.

22. **Periodical Return** :—The Family Court shall submit to the High Court such periodical return and statistical information as may be called from time to time.

23. **Miscellaneous** :—All other matters not covered under these rules shall be governed by Chhattisgarh Civil Court Rules and Rules and Orders (criminal).

Bilaspur, the 31st January 2006

No. 28/II-15-19/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, makes the following amendments in the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003, which shall come into force with immediate effect :—

AMENDMENTS

The existing Rule 6 (2) in Part-V of Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 is substituted by the following new Rule 6 (2) :—

2.	Stenographer	By direct recruitment through competitive examination.	1.	Must be a Graduate from any recognised University and
			2.	Must have passed Shorthand Examination & Typewriting Examination in English from any recognised Board of Shorthand and Typewriting Examination@ 80 words per minute & 30 words per minute, respectively

By order of Honble the High Court,
R. K. BEHAR, Registrar General.